



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 185 राँची, सोमवार,

27 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

16 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-15/2021-19603 (HRMS)--श्री शशि भूषण वर्मा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-358/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, सरिया, गिरिडीह, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध सरिया मौजा के बड़की सरिया के गैरमजरूआ खाता के विभिन्न प्लॉट/रकबा को अलग-अलग तिथियों को ऑनलाईन कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने संबंधी आरोप-पत्र उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-632/रा०, दिनांक 12.03.2021 द्वारा गठित किया गया।

2. उक्त आरोपों के लिए अधिसूचना सं०-5776(hrms), दिनांक 27.05.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से श्री वर्मा को निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया।

3. श्री वर्मा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-2492, दिनांक 02.05.2021 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री वर्मा के पत्र, दिनांक 29.09.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए निलंबन मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

श्री वर्मा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8147, दिनांक 30.11.2021 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1133, दिनांक 14.06.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-326(6)/रा० दिनांक 30.01.2023 द्वारा विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

4. श्री वर्मा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण, उपायुक्त, गिरिडीह के मंतव्य एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त विभागीय मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री शशि भूषण वर्मा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, सरिया, गिरिडीह, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority	Effective Date
1	2	3	4
1	SHASHI BHUSHAN VERMA (110063186541)	श्री शशि भूषण वर्मा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-358/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, सरिया, गिरिडीह, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	16/03/2023

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
